



2026:AHC:34357-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **30124/2025**

ओबिन्स कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्याम सुंदर मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि वह रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति नियमानुसार वापस कर दी जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

फरवरी 16, 2026

के.एस.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"